न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : एस.एस. अली
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2612–एक/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 28–7–2016 पारित द्वारा अपर आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना के प्रकरण कमांक 162/2013–14/अपील.

उमेश शरण पुत्र मनीराम
निवासी ग्राम गोरमी तहसील गोरमी
जिला भिण्ड म0प्र0

——— आवेदक

विरूद्ध

1. महेश शरण पुत्र मनीराम
निवासी कस्बा गोरमी तहसील गोरमी
जिला भिण्ड म0प्र0
2. रमेश शरण
3. बृजेश शरण
4. रामशरण पुत्रगण मनीराम
निवासीगण कस्वा गोरमी, तहसील गोरमी
जिला भिण्ड म0प्र0

——— अनावेदकगण

.....

आवेदक, स्वयं
श्री एस0के0 वाजपेयी, अभिभाषक अनावेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 18/05/2017 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की 50 के अन्तर्गत अपर आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना के पारित आदेश दिनांक 28–7–16 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि कस्बा गोरमी स्थित प्रश्नधीन भूमियां के अभिलिखित भूमिस्वामी रामनरायण थापक थे। भूमिस्वामी रामनारायण की मृत्यु हो जाने के पश्चात वसीयतनामे के आधार पर आवेदक द्वारा कुल किता 11 पर

नामांतरण किये जाने बावत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 18/2012–13/अ–6 में पारित आदेश दिनांक 15–1–2013 से वसीयतनामा के आधार कुल किता 11 भूमि पर आवेदक का नाम नामांतरण स्वीकार किया गया। विचारण न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी मेहगांव ने प्रकरण कमांक 39/2012–13/अपील माल में पारित आदेश दिनांक 13–3–2014 के द्वारा अपील निरस्त की गई। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त चम्बल संभाग के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 28–7–2016 से अपील स्वीकार कर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये तथा बाद में संपादित वसीयत के आधार पर दोनों पक्षों के हित में प्रश्नाधीन भूमि का नामांतरण स्वीकृत किया। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक की ओर से प्रस्तुत लिखित तर्क में मुख्य रूप से यह बिन्दु उठाये हैं कि प्रकरण में विवादित भूमि के अभिलिखित भूमिस्वामी श्री रामनारायण थापक थे। आवेदक मृतक रामनारायण के भाई के पुत्र होकर मृतक के भतीजे हैं। मृतक रामनारायण ने आवेदक के पक्ष में दिनांक 15–2–08 को रजिस्टर्ड वसीयतनामा निष्पादित किया था, जिसके आधार पर दिनांक 15–1–2013 आवेदक के पक्ष में नामांतरण स्वीकार किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश को अनुविभागीय अधिकारी द्वारा स्थिर रखा गया है, परन्तु अपर आयुक्त ने दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त करने में त्रुटि की है। यह भी तर्क किया कि अनावेदकगण द्वारा मृतक रामनारायण की ओर से दिनांक 11–4–10 को निष्पादित वसीयत के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई थी जहां उक्त वसीयत के गवाहों द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत कर वसीयत पर उनके हस्ताक्षर से इंकार किया गया। अपर आयुक्त के समक्ष वसीयत को गवाहों से सिद्ध नहीं किया गया है। इन बिन्दुओं को नजरअंदाज कर अपर आयुक्त द्वारा

दोनों अपील स्वीकार करने में अवैधानिकता की है। तर्क में यह भी कहा कि अपर आयुक्त के समक्ष अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गई थी, परन्तु अपर आयुक्त ने समय–सीमा पर कोई आदेश पारित नहीं किया। इसके अतिरिक्त पंजीकृत वसीयतनामा को निरस्त करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त का आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया है।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क किया कि मृतक रामनारायण थापक लावल्द फौत हुये थे उभय पक्ष रामनारायण के भाई मनीराम के पुत्र है एवं मृतक रामनारायण की सम्पत्ति के समान रूप से उत्तराधिकारी हैं। आवेदक ने रामनारायण द्वारा वर्ष 2008 में तथाकथित रूप से निष्पादित वसीयत के आधार पर नामांतरण चाहा था। उक्त वसीयत कभी मूल रूप से प्रस्तुत नहीं की गई, विचारण न्यायालय द्वारा मात्र फोटोप्रति के आधार पर आवेदक के पक्ष में नामांतरण करने में अवैधानिक कार्यवाही की है। जबकि भूमिस्वामी रामनाराण ने आवेदक एवं अनावेदकगण दोनों के पक्ष में दिनांक 11–4–2010 को वसीयतनामा निष्पादित कराया था, जो बाद का होकर अंतिम वसीयतनामा था। यह भी तर्क किया कि अनावेदकगण द्वारा तहसील न्यायालय में दिनांक 11–4–2010 की निष्पादित वसीयतनामे के आधार पर नामांतरण पर आपत्ति प्रस्तुत की थी जिसे तहसीलदार ने प्राप्त करने के पश्चात उसपर बिना विचार किये उक्त आपत्ति पर कोई आदेश किये बिना नामांतरण करने में अवैधानिकता की है। यह भी तर्क किया कि अनावेदक ने दिनांक 10–1–2013 को उपस्थित होकर 2010 में निष्पादित वसीयतनामे के आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था परन्तु तहसीलदार ने उक्त वसीयतनामे पर कोई कार्यवाही न कर और चार दिन बाद दिनांक 15–1–2013 को अंतिम आदेश पारित कर दिया ऐसा आदेश पूर्णतः अवैध एवं मनमाना है, जिसे निरस्त करने में अपर आयुक्त द्वारा उचित कार्यवाही की है। तर्क में यह भी कहा कि वसीयनामा अपंजीकृत भी हो सकता है किसी वसीयतनामे का पंजीयत होना वसीयतनामा

किये जाने का अकाट्य प्रमाण नहीं है। वसीयतनामा साक्ष्य से सिद्ध होना चाहिए। अनुविभागीय अधिकारी ने अपील में उठाये गये आधारों एवं अभिकथनों की कोई विवेचना किये बिना 2010 की वसीयत की अपंजीकृत वसीयत को संदेहास्पद मानकर अपील निरस्त करने में भूल की है। अनुविभागीय अधिकारी ने वसीयत के साक्षियों के शपथपत्रों पर कूट परीक्षण करने का अवसर नहीं दिया गया। इसी कारण अपर आयुक्त ने विचारण न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को निरस्त करने में उचित कार्यवाही की है। अतः निगरानी निरस्त की जाये।

5/ उभय पक्ष के अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया। विचारण न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि मृतक रामनारायण थापक द्वारा आवेदक के पक्ष में निष्पादित रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 15–2–08 के आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर विचारण न्यायालय द्वारा विधिवत प्रकरण दर्ज कर इश्तहार प्रकाशन कराया है तथा हितबद्ध व्यक्तियों को व्यक्तिशः सूचना भी जारी की गई है। गवाह के कथन कराये गये हैं। तहसीलदार द्वारा रजिस्टर्ड वसीयतनामा के आधार पर विधिवत प्रकिया अपनाकर आवेदक एवं अनावेदकगण के नाम नामांतरण आदेश पारित किया है। विचारण न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण ने इस आधार पर अपील प्रस्तुत की कि वे प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार थे क्योंकि अनावेदकगण मृतक रामनारायण थापक के भतीजे हैं और आवेदक के भाई हैं और अनावेदकगण के पक्ष में मृतक रामनारायण थापक ने दिनांक 11–4–2010 को वसीयत भी संपादित की गई थी। विचारण न्यायालय के अभिलेख में पृष्ठ 6 लगायत 9 एवं 11 लगायत 12 पर लगे सूचना पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदकों को सूचना जारी की गई है तथा नोटिस तामील भी कराई गई है। इसलिए अनावेदक अभिभाषक का यह तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है कि विचारण न्यायालय में अनावेदकों को किसी प्रकार की सूचना जारी नहीं की गई। अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष विचारण न्यायालय के आदेश को चुनौती दी जाकर बाद में संपादित अपंजीकृत वसीयत के आधार

पर नामांतरण हेतु अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अनावेदकगण द्वारा दिनांक 11—4—10 को संपादित अपंजीकृत वसीयत के गवाह रामदास शर्मा एवं अजीत शर्मा द्वारा अपील प्रकरण में शपथ पत्र प्रस्तुत कर लेख किया कि उनक सामने मृत रामनारायण द्वारा कोई वसीयतनामा नहीं लिखा गया और न ही उक्त वसीयतनामा पर उनके हस्ताक्षर हैं। अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत दिनांक से पूर्व लगभग तीन वर्ष तक नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। इन्हीं आधारों के कारण अनुविभागीय अधिकारी ने अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत अपील को निरस्त कर रजिस्टर्ड वसीयतनाम के आधार पर तहसीलदार द्वारा पारित नामांतरण आदेश को स्थिर रखा और अपंजीकृत वसीयत को संदेहास्पद माना। विचारण न्यायालय एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जो निष्कर्ष निकाले गये हैं वे विधिअनुकूल एवं वैधानिक दृष्टि से उचित है। जहां तक अपर आयुक्त के आदेश का प्रश्न है अपर आयुक्त ने अपने आदेश में मात्र इस आधार पर कि अपंजीकृत वसीयत बाद में लिखी गई है, के आधार पर नामांतरण के आदेश देने में अवैधानिकता की है। अपर आयुक्त द्वारा इस महत्वूपर्ण बिन्दु पर विचार नहीं किया कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अनावेदकगण की ओर से प्रस्तुत वसीयत के गवाहों द्वारा उनके समक्ष लेख किये जाने से इंकार किया है तथा हस्ताक्षर से भी इंकार किया है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि वसीयत अपंजीकृत हो सकती है, परन्तु उसे गवाहों से सिद्ध होना चाहिए। इस प्रकरण में पंजीकृत वसीयत के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा नामांतरण आदेश पारित किया है जिसके पश्चात उसे प्रथम अपीलीय न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी द्वारा भी सही पाया है। इस प्रकरण में बाद में प्रस्तुत अपंजीकृत वसीयत गवाहों द्वारा शपथपत्र के माध्यम से खण्डन किये जाने के बावजदू भी अपर आयुक्त ने नामांतरण के आदेश दिये हैं। अपर आयुक्त द्वारा निकाला गया निष्कर्ष विधिसम्मत नहीं होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाती है। अपर आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना का आदेश दिनांक 28—7—2016 निरस्त किया जाता है तथा तहसीलार गोरमी द्वारा पारित आदेश दिनांक 15—1—2014 एवं अनुविभागीय अधिकारी मेहगांव जिला भिण्ड द्वारा पारित आदेश दिनांक 13—3—2014 विधिअनुकूल होने से स्थिर रखे जाते हैं।

(एस0एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर